

अज अदालत.....

मुकाम.....

किस्म मुकदमा.....

शुक्ला सिंह

बनाम

राम सिंह व कोटा

२१.०१.१८ ००,१८८

नं.

१०२


सन्.

१८

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| ११-७-१८ | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रवि नारायण जायसवाल</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>००,१८८</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>२३.७.१८</u> को पेश हो।</p> | |
| २३/०७/१८ | <p>वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादी संख्या- १ श्री श्री वकील श्री <u>कुमर सिंह चौधरी</u> द्वारा पत्रावली नामा मय ईडवालिग्रा जवाब दावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बीच प्रतिवादी/गणों को रेड्डेड थालेडर टोन से <u>प्रोसेस</u> पत्रावली बनाये गये जिनसे कोर्ट इन्वोलुटा नहीं चार्ज गई, वादी वकील द्वारा वादी लाइफ डे- रण्ड में <u>PW-1</u> से <u>PW-3</u> के वायफ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी लाइफ डे रण्ड में प्रतिवादी संख्या १ तक में <u>DW-1</u> वायफ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी का कांड संश्लेष में इस प्रकार है कि</p> | <p>शुक्ला सिंह राज जिले नर्सिंह नरपत्तसिंह प्रमकुमार</p> |

सहायक क्लर्क (SDO)
बायत

वादीगण संघ प्रतिवादी एड ही संयुक्त सिद्ध प्रतिवादी
 के सदस्य है। वादीगण संघ प्रतिवादी संख्या 1 के
 बीच पिला-पुन डा हिल्स है। तथा उक्त वादीगण
 भूमि वक्त सर्वेक्षण वादीगण के द्वारा इंग्लिश
 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। उक्त
 भूमि वादीगणों की पट्ट भूमि है। वादीगण व प्रति
 वादी के पट्ट संघ संयुक्त ध्यातेदारी की भूमि
 मौजा - मिठियातरा पटवार हल्का पनावडा तहसील
 बामडु जिला- बाड़मेर के खेत खसत नम्बर आंग
 207, 341, 345, 346 बडवा क्रमका: 0.04, 08.14, 0.08,
 106.18 बीघा व मौजा- वाडी घोरा के खेत खसत
 नम्बर- 247, 293 बडवा- 43.03, 21.18 बीघा व
 मौजा- वाडी घोरा के खेत खसत नम्बर- 264,
 266 बडवा - 12.18, 46.14 बीघा की मई हुई है।
 मौजा- मिठियातरा पटवार मण्डल- पनावडा तहसील- बामडु
 जिला- बाड़मेर के खेत खसत नम्बर- क्रमका: 207
 341, 345, 346 बडवा क्रमका- 0.04, 08.14, 0.08, 106.18
 बीघा की भूमि में वादीगण की प्रतिवादी संख्या- 1 के
 1/4 हिस्से व मौजा- वाडी घोरा के खेत खसत नम्बर-
 247, 293 बडवा- 43.03, 21.18 बीघा की भूमि में वादी-
 गण की प्रतिवादी संख्या- 1 के 1/4 हिस्से व मौजा-
 वाडी घोरा के खेत खसत नम्बर- 264, 266 बडवा-
 12.18, 46.14 बीघा की भूमि में वादीगण की प्रतिवादी
 संख्या- 1 के 1/8 हिस्से के साथ सर्वध्यातेदार घोषित
 होने का अधिका है तथा इसी अनुसार मोडे पर


 सहायक कमिश्नर (SD)
 बायत

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पार्षाण का उद्देश्य प्राप्त है तथा बाँटिया बनी
है। लेकिन उक्त ग्राम में पार्षाण का राजस्व
रेड में नाम दर्ज नहीं है। इसलिए पार्षाण
को गड़ काड घोषणा का लागू पडा।
पार्षाण का काड दर्ज रजिस्ट्रर
विभा जम्मा राधा। परिवारी संख्या - 1 की
तोड़ ले पडील भी कुम्भसिंह चौधरी द्वारा
पडालातनामा मय इंडवालिभा जबाबदार पेश
कर पार्षाण का उक्त विवादित मराजी में
परिवारी के साथ करावर- करावर का हिस्सा
कारी पडील द्वारा कारी साक्ष्य के रूप में PW-1
ले PW-3 तथा परिवारी साक्ष्य के रूप में PW-1
के साथ- साथ पेश किये गये जिसे भी
पार्षाण का परिवारी संख्या - 1 के साथ करावर-
करावर का हिस्सा होना स्वीकार किया गया।
कारी पडील की एडपसीम कदम
सुनी गई, पञ्चावली व पञ्चावली के संलग्न राजस्व
रेड का क्रमबद्धन किया गया काड अन्वेषण
उक्त विवादित मराजी में पार्षाण का परिवारी
संख्या - 1 के साथ करावर- करावर का हिस्सा
होना ताबिल होला है।

मत: कारी का काड स्वीकार किया
जाकर विवादित मराजी मोजा- मिडिभातरा पणत
मण्डल- पनावडा तहसील- बाण्डु जिला चाणेर
के ग्राम चमरा नम्बर- 207, 341, 345, 346
रकबा- 0.04, 08.14, 0.08, 106.18 बीघा की
भूमि में परिवारी संख्या - 1 के 1/4 हिस्से व मोजा-
काडी घोरा के ग्राम चमरा नम्बर- 247, 293 रकबा-
43.03, 21.18 बीघा भूमि में परिवारी संख्या - 1 के 1/4
हिस्से तथा मोजा- काडी घोरा के ग्राम चमरा नम्बर-
264, 266 रकबा- 12.18, 46.14 बीघा भूमि में परिवारी
संख्या - 1 के 1/8 हिस्से के पार्षाणों को लह

सहायक कलेक्टर (SDO)
बाण्डु

तारीख हुक्म

खाते पर स्वीकार घोषित किया जाता है। तदनुसार कर्मचारी प्रत्येक राजस्व रकम में समतुल्य रहे। अंतिम डिग्री पचास जारी होकर पचासवीं संख्या सुधार हो, इन नम्बर में इस में दायित्व इच्छा है।

सहायक कमिश्नर (SDO) बायत

23/07/18

वारी वहील उपलब्ध। वारी वहील डारा

रुठ आपना-पत्र पचासवीं माज तलब रुठ निर्णय व डिग्री पचास में संशोधन करने खातर डा प्रस्तुत रुठ निर्णय शीमा प्रत्येक की उक्त वाद में निर्णय लिखते समय व डिग्री पचास जारी करते समय मोजा-वाठडीघोरा (पनाकड़ा) तहसील बायतु के अंतर्गत नम्बर-रुमरा: 264, 266 रडका रुमरा: 12.18 व 46.14 बीघा क्षेत्र में उत्तरी संख्या-1 रामसिंह डा 1/8 वॉ हिस्सा लिख शीमा उक्त जगति उक्त अंतर्गत में उत्तरी संख्या-1 रामसिंह डा 1/2 वॉ हिस्सा है। इसलिए निर्णय व डिग्री पचास दिनांक 23/07/18 में उत्तरी संख्या-1 रामसिंह डा 1/8 हिस्सा के अंतर्गत पर 1/2 वॉ हिस्सा पठा जाने डा क्षेत्र शीमा जावे।

अतः वारी वहील डारा प्रस्तुत

आपना-पत्र डा स्वीकार शीमा जाकर उक्त वाद में निर्णय व डिग्री पचास दिनांक 23/07/18 में मोजा-वाठडीघोरा (पनाकड़ा) तहसील-बायतु के अंतर्गत नम्बर-रुमरा: 264, 266 रडका रुमरा: 12.18 व 46.14 बीघा में उत्तरी संख्या-1 रामसिंह डा 1/8 वॉ हिस्सा के अंतर्गत पर 1/2 वॉ हिस्सा पठा जाने डा क्षेत्र शीमा जाला है। तहसील डारा बायतु उक्त निर्णय व डिग्री पचास में उत्तरी संख्या-1 डा 1/8 वॉ हिस्सा के अंतर्गत पर 1/2 वॉ हिस्सा पठा जाकर राजस्व रकम में समतुल्य रहे। पचासवीं पुनः दायित्व इच्छा है।

सहायक कमिश्नर (SDO) बायतु

कोटिका
लेव सुहास
सा मा इशारा
ग बायत 200 वाड
मुकदमा नं 1021

जाति

खनाम

उत्तिकारीण

1. अश्वमिंद पुत्र वाममिंद
2. अश्वमिंद पुत्र राममिंद
3. अश्वमिंद पुत्र राममिंद
जाति राजपूत निवासी-
मिठियासत परवा हल्डु.
पनाका तहण-वायतु
जिला-बायत

1. राममिंद पुत्र दुर्गमिंद
2. दुर्गमिंद पुत्र दुर्गमिंद
3. दुर्गमिंद पुत्र राममिंद
4. अंकर अंकर पतिन लंगमिंद
5. मनोहरमिंद पुत्र मिठुमिंद
6. सुलमिंद पुत्र मिठुमिंद
7. परपु अंकर पतिन मिठुमिंद
8. हडमलमिंद पुत्र लखमिंद
9. मदनमिंद पुत्र लखमिंद
10. भवानीमिंद पुत्र लखमिंद
11. राजूमिंद पुत्र लखमिंद
12. जोहरवाड पतिन लखमिंद
13. स्वरूपमिंद पुत्र अर्जुनमिंद
14. देवीमिंद पुत्र अर्जुनमिंद
15. स्वरूपमिंद पुत्र अर्जुनमिंद
16. अंकरवाड पतिन अर्जुनमिंद
जाति राजपूत निवासी- मिठियासत
पनाका तहण-वायतु
17. जाकरीदेवी पतिन भीष्मराज
18. भीष्मराज पुत्र भीष्मराज
19. राणातम पुत्र भीष्मराज
जाति सुधार निवासी- मिठियासत
परवा हल्डु-पनाका
तहण-वायतु जिला-बायत




सहायक कलेक्टर (SDO)
बायत